

| ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|---------|--|--|--|---------------|
| 1 164.1 | कार्यकारी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 17.06.11 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 163वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया। 1. कार्यकारी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 17.06.11 के निर्णयों के क्रियान्विति पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा बिन्दु संख्या 163:8 जो कि "निर्माण कार्यों को धरोहर राशि के कटौती/जमा करने के स्वरूप में परिवर्तन बाबत" से संबंधित था, पर आगामी कार्यवाही कर कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे। | निदेशक (वित्त)/ निदेशक (अभियांत्रिकी) | |
| 2 164.2 | कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या जी-328 के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-328 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 3 164.3 | कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-143 के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-143 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 4 164.4 | कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी-188 के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-188 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 | |
| 5 164.5 | भूखण्ड संख्या 1551, रोहिणी नगर तृतीय में आवंटित भूखण्ड की नजराना राशि देरी से जमा होने पर भूखण्ड का नियमितिकरण करने बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या 1551, रोहिणी नगर तृतीय में आवंटित भूखण्ड की नजराना राशि देरी से जमा होने पर भूखण्ड का नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-14 | |
| 6 164.6 | व्यावसायिक भूखण्ड (दुकान) संख्या 14 टेगोर सर्किल वैशाली नगर योजना की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से व्यावसायिक भूखण्ड (दुकान) संख्या 14 टेगोर सर्किल वैशाली नगर योजना की नजराना राशि विलम्ब से जमा होने से नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-7 | |
| 7 164.7 | भूखण्ड संख्या 687, आनंद लोक योजना-11 के निरस्तीकरण हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने वाला एजेण्डा नोट। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि को लोटाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-12 | |
| 8 164.8 | प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारीगण के वाहन क्षति-पूर्ति भत्ते एवं मोबाईल पुनर्भरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अति. आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 9 164.9 | श्री लालचन्द कुमावत, निजी सहायक की पत्नि श्रीमती लक्ष्मी कुमावत का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराये गये ईलाज पर व्यय की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री लालचन्द कुमावत की पत्नि श्रीमती लक्ष्मी कुमावत का प्राधिकरण से गैर अनुमोदित हॉस्पिटल में कराये गये ईलाज पर व्यय की पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |

| ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट | |
|-------|--------|---|--|-----------------------------------|--|
| 10 | 164.10 | श्रीमती रीटा तेजपाल (आर.जे.एस.) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-1 द्वारा स्वयं की जांच प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी डायग्नोसिस सेन्टर में करायी गई जांच पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्गण की स्वीकृति बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्रीमती रीटा तेजपाल (आर.जे.एस.) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-1 द्वारा स्वयं की जांच प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी डायग्नोसिस सेन्टर में करायी गई जांच पर व्यय हुई राशि की प्रस्ताव अनुसार पुनर्गण की स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 11 | 164.11 | सार्वजनिक निर्माण लेखा एवं वित्तीय नियमों में होने वाले परिवर्तनों को प्राधिकरण में लागू करने बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निदेशक (वित्त) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि बिना निविदा के क़य हेतु अति. आयुक्त (प्रशासन) को वर्तमान में 3000/- रूपये के स्थान पर 10000/- रूपये तक के क़य करने की शक्तिया प्रदान की जावे। | निदेशक (वित्त) | |
| 12 | 164.12 | प्राधिकरण की स्ट्रेन्थ के पुर्ननिर्धारण की स्वीकृति हेतु नगरीय विकास विभाग को भेजे गये पत्र दिनांक 15.07.11 की कार्योत्तर पुष्टि बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण की स्ट्रेन्थ के पुर्ननिर्धारण की स्वीकृति हेतु नगरीय विकास विभाग को भेजे गये पत्र दिनांक 15.07.11 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | अति. आयुक्त (प्रशासन) | |
| 13 | 164.13 | जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम श्यामपुरा बुहारिया तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 202, 203, 147/1, 198/1, 147, 198, 149/1, 181/444/1, 136, 150, 151, 176, 140, 154, 175, 157, 141, 144, 174, 177, 178, 135, 180, 199, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 131, 132, 133, 138, 139, 153, 164, 168, 172, 137, 181/444, 149, 200, 200/1, 134, 142, 463/143, 146/143, 143, 145, 146, 148, 152, 155, 165, 136, 167, 169, 170, 171, 173, 179, 181, 182, 185, 201, 74/1, 75/1, 76/1, 77/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 130 कुल रकबा 11.56 हेक्टर मे से 30मीटर एवं 18 मीटर चौड़ाई की सडकों में निहित होने वाली 14851.39 वर्गमीटर भूमि को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं सैक्टर व्यावसायिक पट्टी में निहित भूमि 4731.68 वर्गमी. भूमि में से जविप्रा हिस्से की भूमि को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 96016.93 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानिचित्र में ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के तहत जविप्रा आवास विकास संस्थान व आवेदक के मध्य हुये इकरारनामें में लगाई गयी शर्तों के अधीन किये जाने के संबंध में। (रिजिन्सी बिल्डहोम प्रा.लि.) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से आयुक्त जविप्रा द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी किये जाने के आदेशों की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया। | अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान) | |

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट | |
|-------|--------|--|---|-----------------------------------|--|
| 14 | 164.14 | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिरौली तह. सांगानेर के ख.नं. 2449 रकबा 0.33 है. ख.नं. 2449/3318 रकबा 0.09 है. ख.नं. 246 रकबा 0.19 है. ख.नं. 2457/1 रकबा 0.19 है. ख.नं. 2458 रकबा 0.83 है. ख.नं. 2459 रकबा 0.27 है. ख.नं. 2460 रकबा 0.42 है. किता 7 कुल रकबा 2.32 हैक्ट. (23200 व.मी.) में से 100' की सड़क सीमा से प्रभावित 487.55 व.मी. व 100' चौड़ी सैक्टर रोड से लगती हुए व्यावसायिक भू-पट्टी 1626.25 व.मी. भूमि में से जविप्रा के हिस्से की 1097.80 व.मी. भूमि कुल 1585.35 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पण की शर्त पर शेष 528.43 व.मी. भूमि का व्यावसायिक से एवं 21086.22 व.मी. भूमि का आवासीय मिश्रित से भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में संस्थानिक (शैक्षणिक) किये जाने के संबंध में। (सोसायटी फार वेलफयर अवरनेस रिसर्च एण्ड गाइडेन्स) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सिरौली तह. सांगानेर के ख.नं. 2449 रकबा 0.33 है. ख.नं. 2449/3318 रकबा 0.09 है. ख.नं. 246 रकबा 0.19 है. ख.नं. 2457/1 रकबा 0.19 है. ख.नं. 2458 रकबा 0.83 है. ख.नं. 2459 रकबा 0.27 है. ख.नं. 2460 रकबा 0.42 है. किता 7 कुल रकबा 2.32 हैक्ट. (23200 व.मी.) में से 100' की सड़क सीमा से प्रभावित 487.55 व.मी. व 100' चौड़ी सैक्टर रोड से लगती हुई व्यावसायिक भू-पट्टी 1626.25 व.मी. भूमि में से जविप्रा के हिस्से की 1097.80 व.मी. भूमि कुल 1585.35 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पण की शर्त पर शेष 528.43 व.मी. भूमि का व्यावसायिक से एवं 21086.22 व.मी. भूमि का आवासीय मिश्रित से भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में संस्थानिक (शैक्षणिक) किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि क्षेत्रफल 10,000 व.मी. से अधिक होने के कारण प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में भिजवाये जाने का भी निर्णय लिया गया। | अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान) | |
| 15 | 164.15 | जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन पर किये गये भुगतान की विशेष जांच की अनुपालना में अधिक व्यय की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन पर किये गये भुगतान की विशेष जांच की अनुपालना में अधिक व्यय की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | जनसम्पर्क अधिकारी | |
| 16 | 164.16 | जविप्रा क्षेत्र में स्थित भू.सं. 1, 2, 21 (3, 4, 20 पार्ट) 22, 23 योजना निर्माण नगर 'ए' मुख्य अजमेर रोड के क्षेत्रफल 1271.65 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से व्यावसायिक (होटल) उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कनिष्क बिल्डमार्ट इण्डिया प्रा.लि.) | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि:- 1. प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 10(173)नवि/03/10 दिनांक 10.08.10 को सैद्धान्तिक स्वीकृति आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ प्राप्त हुई है। अतः प्रकरण को Routine Manner में नहीं माना जाये। 2. जविप्रा द्वारा आवेदित भूखण्डों का आवासीय पट्टा जारी किया गया है। अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.06.11 के बिन्दु संख्या (1) के अनुसार इन भूखण्डों को आबादी भूमि माना जाये। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 21 (3, 4, 20पार्ट) 22 व 23 निर्माण नगर योजना 'ए' अजमेर रोड के क्षेत्रफल 1271.65 वर्गगज भूमि को आबादी भूमि मानते हुए मास्टर विकास योजना 2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि 6000 व.मी. से कम होने के कारण राज्य सरकार के भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अनुसार जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(1) की कार्यवाही जविप्रा स्तर पर ही किये जाने का निर्णय लिया गया। | अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान) | |

अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| ए.सं. | विषय | बैठक में दिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी | पालना रिपोर्ट |
|-------|--------|--|--|-----------------------------------|
| 17 | 164.17 | कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या ई-477 के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई-477 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 |
| 18 | 164.18 | कल्पना नगर योजना में भूखण्ड संख्या ई-67 के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई-67 के नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जोन-13 |
| 19 | 164.19 | श्रीमती प्रणीता जैन, सहायक, जविप्रा द्वारा स्वयं की जांच प्राधिकरण से गैर अनुमोदित डायग्नोस्टिक सेन्टर में करायी गई जांच पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्रीमती प्रणीता जैन, सहायक, जविप्रा द्वारा स्वयं की जांच प्राधिकरण से गैर अनुमोदित डायग्नोस्टिक सेन्टर में करायी गई जांच पर व्यय हुई राशि की पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सचिव, निदेशक (वित्त), व अति. आयुक्त (प्रशासन) की कमेटी द्वारा 20000/- रुपये तक के ऐसे गैरअनुमोदित अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेन्टर से ईलाज/जांच करवाने के पुनर्भरण की राशि के भुगतान हेतु कमेटी को अधिकृत किया गया। | अति. आयुक्त (प्रशासन) |
| 20 | 164.20 | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम भावगढ बन्धा तह. सांगानेर के ख.नं. 44 रकबा 0.02 है. 117 रकबा 0.33 है. 120 रकबा 0.37 है. 121 रकबा 0.21 है. 133 रकबा 0.15 है. 135 रकबा 0.21 है. 136 रकबा 0.31 है. 137 रकबा 0.30 है. 138 रकबा 0.12 है. 139 रकबा 0.39 है. 141 रकबा 0.32 है. 142 रकबा 0.23 है. 144 रकबा 0.10 है. 181 रकबा 0.44 है. 183 रकबा 0.28 है. 184 रकबा 0.31 है. 188 रकबा 0.49 है. 189 रकबा 0.46 है. 190 रकबा 0.42 है. 191 रकबा 0.51 है. 757/45 रकबा 1.2950 है. 116 रकबा 0.07 है. 112 रकबा 0.32 है. 112/702 रकबा 0.09 है. 185 रकबा 0.37 है. 192 रकबा 1.31 है. 118 रकबा 0.02 है. 119 रकबा 0.03 है. 134 रकबा 0.07 है. कुल कित्ता 29 कुल रकबा 9.5450 हैक्ट. का खसरा सुपरइम्पोज करने पर प्राप्त क्षेत्रफल 95429.39 व.मी. भूमि में से गैस पाईप लाइन एवं सडक से प्रभावित क्षेत्र 12807.17 व.मी. भूमि कम करते हुये एवं 160 फीट चौड़ी सडक से प्रश्नगत स्थल तक पहुंचने हेतु जविप्रा की स्वामित्व की भूमि ख.नं. 176 व 180 (गैर मुमकिन नाला) में से जविप्रा के मानदण्ड अनुसार आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण किये जाने (जिससे प्राकृतिक जल निवास अवरुद्ध ना हो) की शर्त पर शेष 82622.22 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय मिश्रित से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम भावगढ बन्धा तह. सांगानेर के ख.नं. 44 रकबा 0.02 है. 117 रकबा 0.33 है. 120 रकबा 0.37 है. 121 रकबा 0.21 है. 133 रकबा 0.15 है. 135 रकबा 0.21 है. 136 रकबा 0.31 है. 137 रकबा 0.30 है. 138 रकबा 0.12 है. 139 रकबा 0.39 है. 141 रकबा 0.32 है. 142 रकबा 0.23 है. 144 रकबा 0.10 है. 181 रकबा 0.44 है. 183 रकबा 0.28 है. 184 रकबा 0.31 है. 188 रकबा 0.49 है. 189 रकबा 0.46 है. 190 रकबा 0.42 है. 191 रकबा 0.51 है. 757/45 रकबा 1.2950 है. 116 रकबा 0.07 है. 112 रकबा 0.32 है. 112/702 रकबा 0.09 है. 185 रकबा 0.37 है. 192 रकबा 1.31 है. 118 रकबा 0.02 है. 119 रकबा 0.03 है. 134 रकबा 0.07 है. कुल कित्ता 29 कुल रकबा 9.5450 हैक्ट. का खसरा सुपरइम्पोज करने पर प्राप्त क्षेत्रफल 95429.39 व.मी. भूमि में से गैस पाईप लाइन एवं सडक से प्रभावित क्षेत्र 12807.17 व.मी. भूमि कम करते हुये एवं 160 फीट चौड़ी सडक से प्रश्नगत स्थल तक पहुंचने हेतु जविप्रा की स्वामित्व की भूमि ख.नं. 176 व 180 (गैर मुमकिन नाला) में से जविप्रा के मानदण्ड अनुसार आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण किये जाने (जिससे प्राकृतिक जल निवास अवरुद्ध ना हो) एवम् जविप्रा के स्वामित्व के ख.नं. 113, 114, 115, 140, 145 जो आवेदित भूमि में Island के रूप में है, का आवेदक को आवंटन प्रक्रियाधीन है, यदि यह आवंटन किसी कारणवश नहीं हो तो, इस भूमि तक पहुंच मार्ग (right of approach) उपलब्ध करवाने की शर्त पर शेष 82622.22 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2011 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय मिश्रित से संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। आवेदित भूमि क्षेत्रफल 10,000 व.मी. से अधिक होने के कारण प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में भिजवाये जाने का भी निर्णय लिया गया। | अति. मुख्य नगर नियोजक (मा. प्लान) |

| ए.सं. | विषय | बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धी अधिकारी | पालना रिपोर्ट | |
|-------|--------|--|--|---|--|
| 21 | 164.21 | Approval of consultancy offer to Engineers India Ltd. (EIL) for the work "Preparation of Pre-feasibility study for laying civic utilities in underground ducts in walled city of Jaipur." | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अधिष्ठापी अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की आधी राशि जयपुर नगर निगम से प्राप्त की जाने हेतु राज्य सरकार व नगर निगम को लिखा जावे। | Exe. Eng-2 | |
| 22 | 164.22 | प्राधिकरण कार्यों की निविदाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुबन्ध पत्र 2010 को मान्य करने हेतु। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण कार्यों की निविदाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुबन्ध पत्र 2010 को मान्य करने की कार्योत्तर पश्चात् स्वीकृति एवं भविष्य में राज्य सरकार वित्त विभाग द्वारा संशोधन एवं अनुबन्ध प्राधिकरण कार्यों में स्वतः लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। | अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम | |
| 23 | 164.23 | जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड सं. सी-30ए क्षेत्रफल 321.80 वर्गगज को निरस्ती से बहाल किये जाने के संबंध में। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड सं. सी-30ए क्षेत्रफल 321.80 वर्गगज का भवन निर्माण निर्धारित क्षेत्रफल में नहीं होने के कारण इस पर निदेशक (विधि) ने यह अवगत कराया कि निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के लिये कार्यकारी समिति पूर्ण रूप से सक्षम है, जिस पर नियमानुसार पुनर्ग्रहण शुल्क की राशि वसूल करने की शर्त पर निरस्ती से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जौन-1 | |
| 24 | 164.24 | दुकान संख्या बी-7/1 योजना आटोमोबाइल नगर के पुनर्ग्रहण शुल्क की राशि बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से दुकान संख्या बी-7/1 योजना आटोमोबाइल नगर की पुनर्ग्रहण शुल्क राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। | उपायुक्त जौन-0 | |
| 25 | 164.25 | Ex-post facto approval for the interim deviation statement amounting to Rs. 45.92 Cr. for the work of package IIA of BRTS project. | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से बी.आर.टी.स. परियोजना पैकेज IIA का अन्तरिम डेवियेशन राशि 45.92 करोड रुपये के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | Exe. Eng (Project-I) | |
| 26 | 164.26 | Ex-post facto approval for the interim deviation statement amounting to Rs. 119.58 Cr. for the work of package IIB of BRTS project. | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से बी.आर.टी.स. परियोजना पैकेज IIB का अन्तरिम डेवियेशन राशि 119.58 करोड रुपये के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। | Exe. Eng (Project-I) | |
| 27 | 164.27 | जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 22.05.11 से 1 जून 2011 तक स्टेडी टूर पर चीन एवं हॉंगकांग जाने वाले प्रतिनिध मण्डल के यात्रा में किये गये व्यय की राशि 27.90 लाख रुपये का अनुमोदन एवं कार्योत्तर स्वीकृति बाबत। | विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 22.05.11 से 1 जून 2011 तक स्टेडी टूर पर चीन एवं हॉंगकांग जाने वाले प्रतिनिध मण्डल के यात्रा में किये गये व्यय की राशि 27.90 लाख रुपये का अनुमोदन एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | निदेशक (वित्त) | |

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एम.एस)/2011/डी- 4320
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

नांक: 17-8-2011

| क्र.स. | पद | विभाग का नाम |
|--------|--|--|
| 1 | विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार। |
| 2 | महापौर | जयपुर नगर निगम। |
| 3 | जिला प्रमुख | जिला परिषद, जयपुर। |
| 4 | अध्यक्ष | राजस्थान आवासन मण्डल। |
| 5 | प्रमुख शासन सचिव | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 6 | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 7 | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | रीको, जयपुर। |
| 8 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर। |
| 9 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। |
| 10 | जिला कलेक्टर | जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर। |
| 11 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | नगर निगम, जयपुर। |
| 12 | पुलिस अधीक्षक | पुलिस विभाग, जयपुर। |
| 13 | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 14 | मुख्य नगर नियोजक | नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर। |
| 15 | मुख्य अभियन्ता | सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर। |
| 16 | मुख्य अभियन्ता | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। |
| 17 | मुख्य अभियन्ता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर। |
| 18 | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 19 | निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 20 | निदेशक (परियोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 21 | निदेशक (आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 22 | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 23 | अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पो.सी/भूमि | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 24 | अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 25 | विशेषाधिकार (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे (राजस्व एवं स.नि.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 26 | संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)/(संसाधन विकास एवं समन्वय) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 27 | उपायुक्त जोन..... | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 28 | विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 164वीं बैठक दिनांक 04.08.11 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

| क. सं. | नाम सदस्य / अधिकारी | पद | निभाग | पदनाम |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | श्री कुलदीप रांका | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीमती शुचि शर्मा | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 3 | श्री डी.सी. जवंडा | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 4 | श्री टी.एस. सुण्डा | निदेशक (इंजिनियरिंग) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 5 | श्री एम.पी. स्वामी | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 6 | श्री एन.सी. माथुर | निदेशक (प्रोजेक्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 7 | श्री पी. अरविन्द | अति. मुख्य नगर नियोजक | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 8 | श्री विनय शर्मा | XE(CDIV) | जेवीवीएनएल | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 9 | श्री जे.जे. गुप्ता | GM (Pro.) | आरएसआरटीसी | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 10 | श्री रामदेव सिंह | ADM (JPR) | कलेक्ट्रेट | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 11 | श्री दिनेश चन्द | EX.En | पी.डब्ल्यू.डी | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 12 | श्री ममन सिंह | Add. DCP | पुलिस कमिश्नर | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 13 | श्री देवेन्द्र कुमार जैन | तहसीलदार | नगर निगम | सदस्य के प्रतिनिधि |
| अन्य अधिकारी उपस्थित | | | | |
| 14 | श्री पुखराज सेन | अति. आयुक्त (पूर्व) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 15 | श्री जाकिर हुसैन | अति. निदेशक राजस्व सम्पत्ति निस्तारण | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 16 | श्री एस. मित्रा | संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 17 | श्रीमती आशा अवस्ती | वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 18 | श्री अरविन्द आर्य | एस.ई-1 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 19 | श्री अजय गर्ग | अधिशाषी अभियन्ता-2 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 20 | श्री राजेन्द्र सिंह | उपायुक्त जोन-1 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 21 | श्री अशोक कुमार शर्मा | उपायुक्त जोन-7 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 22 | श्री दिनेश पंवार | उपायुक्त जोन-11 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 23 | श्री अनिल कुमार जैन | उपायुक्त जोन-12 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 24 | श्री नरेन्द्र सिंह | उपायुक्त जोन-13 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 25 | श्री संजय जैन | उपायुक्त जोन-14 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 26 | श्रीमती उषा जैन | पी.आर.ओ | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर